

भाग-IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशों (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जांच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	खरगौन जिले के अंतर्गत वन मंडल खरगौन के वन परिक्षेत्र चिरीया से तितरान्या तक 33 के.व्ही. विद्युत लाईन निर्माण हेतु 20.686 हेक्टेयर वन भूमि कार्यपालन यंत्री, (संचा/संधा) म०प्र०प०क्ष०वि०वि०क०लिमिटेड, खरगौन द्वितीय, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश उपयोग हेतु देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

तिथि: 25.04.2019
स्थान: भोपाल


(सुनील अग्रवाल)

भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल